न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी संख्या 01 / 14 तारीख दायराः— 16.01.2014

राम चन्द्र पुत्र हरी राम, साधूसिंह पुत्र बहादर सिंह, नत्थू राम पुत्र पुत्र श्योजीलाल जाति कुम्हार निवासीगण फूसेवाला तहसील श्री करणपुर(प्रार्थीगण)

बनाम

पार्वती देवी पत्नी श्री सोहन लाल, कृष्ण लाल बलराम पिसरान श्री सोहन लाल, सन्दीप,संजीव पिसरान राम कुमार जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला (अप्रार्थीगण)

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 20.02.1991 ग्राम पंचायत फूसेवाला

उपस्थितः—

1. श्री काशी राम रिणवा एडवोकेट, प्रार्थीगण
2. श्री प्रदीप सिहाग एडवोकेट, अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 20/11/17

1. प्रार्थीगण द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आदेशदिनांक 20.02.2017 ग्रामपंचायत फूसेवाला इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई।
2. निगरानी के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड संख्या 13 का आवासीय भूखण्ड संख्या 13 को सार्वजनिक गली दिखाकर 20.02.1991 को पट्टा जारी कर दिया गया। सरपंच को अपने परिवार के सदस्य विशेषकर माता के हक में ग्राम पंचायत की सम्पति को विक्रय करने का अथवा आवासीय पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। भूखण्ड संख्या 13 सार्वजनिक गली का भूखण्ड है। भूखण्ड विक्रय करने का निर्णय या आदेश ग्राम पंचायत फूसेवाला द्वारा किसी सार्वजनिक मीटिंग में नहीं लिया गया न ही भूखण्ड खरीद करने का कोई प्रार्थना पत्र पेश हुआ न ही मौका देखने के लिये किसी कमेटी का गठन हुआ। अब इसका निर्माण करने पर उक्त पट्टा का ज्ञान 29.12.2013 को हुआ। ज्ञान के आधार पर निगरानी पेश कर ग्राम पंचायत फूसेवाला का आदेश 20.02.1991 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।
3. निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया जिनकी ओर से श्री प्रदीप सिहाग एडवोकेट द्वारा पैरवी की गई।
4. बहस उभय पक्षीय सुनी गई। सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड संख्या 13 का आवासीय भूखण्ड संख्या 13 को सार्वजनिक गली दिखाकर 20.02.1991 को पट्टा जारी कर दिया गया। सरपंच को अपने परिवार के सदस्य विशेषकर माता के हक में ग्राम पंचायत की सम्पति को विक्रय करने का अथवा आवासीय पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। भूखण्ड संख्या 13 सार्वजनिक गली का भूखण्ड है। भूखण्ड विक्रय करने का निर्णय या आदेश ग्राम पंचायत फूसेवाला द्वारा किसी सार्वजनिक मीटिंग में नहीं लिया गया न ही भूखण्ड खरीद करने का कोई प्रार्थना पत्र पेश हुआ न ही मौका देखने के लिये किसी कमेटी का गठन हुआ। अब इसका निर्माण करने पर उक्त पट्टा का ज्ञान 29.12.2013 को हुआ। ज्ञान के आधार पर निगरानी पेश कर ग्राम पंचायत फूसेवाला का आदेश 20.02.1991 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।
5. इसके विरोध में लायक वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है। प्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में ही थी। चूँकि इस संबंध में माननीय सिविल न्यायालय में निर्णित वाद में प्रार्थीगण पक्षकार थे। अपने कथनों के समर्थन में नजीर डीएनजे (राज.)2002(1) पेश की व निगरानी मियाद के बिन्दु पर खारिज करने की इस्तदुआ की।

6. बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। दरख्वास्त दफा 5 मियाद अधिनियम में विलम्ब का कारण जाहिर करते हुए वकील प्रार्थीगण ने कथित किया है कि अनाधिकृत विक्रय विलेख के आधार पर भूखण्ड संख्या 13 पर अप्रार्थीगण निर्माण करने लगे निर्माण कार्य का विरोध करने पर विक्रय विलेख की 20.02.1991 की जानकारी 29.12.2013 को हुई। पट्टे की प्रति पुलिस थाना द्वारा उपलब्ध करवाई गई जबकि प्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में ही थी क्योंकि इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा दीवानी वाद संख्या 1/09 न्यायालय सिविल न्यायाधीश(व0ख0) श्री करणपुर के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का नियमित दिवानी प्रकरण संख्या 1/09 पेश किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.13 को निर्णित किया था व विवाद्यक संख्या 1 प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया था अतः वकील प्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार्य नहीं है कि उन्हे उक्त मामले का ज्ञान नहीं था। ज्ञान के आधार पर डिले कन्डोन चाहा गया है जो नहीं दिया जाना चाहिये अतः निगरानी मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में सुयोग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा दृष्टांत डीएनजे (राज.)2002(1)चिरन्जी लाल बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर व अन्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया। उक्त नजीर में विनिश्चिय किया गयाहै कि "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 पट्टा दिये जाने के के आदेश को 39 वर्षो से अधिक समय के विलम्ब के बाद पुनरीक्षण याचिका दायर कर चुनौति दी। अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत किसी अनुतोष का हकदार नहीं माना। मैनें उक्त नजीर का ससम्मान अवलोकन किया उक्त नजीर में अवधि 39 वर्ष है जबकि प्रस्तुत निगरानी निगरानीधीन आदेश 20.02.1991 को 06.01.14 को चुनौति दी गई है जो लगभग 27 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। यह सही है कि निगरानी के लिये पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 में मियाद की सीमा नहीं है लेकिन न्याय की दृष्टि से विलम्ब युक्ति–युक्त होना चाहिये इस संबंध मे 27 वर्ष के विलम्ब का पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः निगरानी प्रस्तुत दृष्टांत के आधार पर खारिज की जाती है।

7. निर्णय की प्रति सहित प्राप्त रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्री गंगानगर